न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86/2015

1 गुलाराम पुत्र भगवाना जाति माली निवासी ग्राम काटलीपुरा तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 मृतक कल्याणराम पुत्र भगवाना (नोट दौराने अपील दिनांक 20.04.2024 को देहान्त हो गया)
2/1 मन्नी देवी पत्नी
2/2 गोपाल पुत्र
2/3 भानाराम पुत्र
2/4 चौथमल पुत्र
2/5 जोधाराम पुत्र
2/6 तेजपाल पुत्र
2/7 विनोद कुमार पुत्र
2/8 राकेश पुत्र
2/9 मन्जु पुत्री
2/10 सन्तोष पुत्री
2/11 पुष्पा पुत्री
2/12 माया पुत्री कल्याण जाति माली निवासी ग्राम काटलीपुरा तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 गिरधारी पुत्र चेबड़ा जाति माली निवासी ग्राम काटलीपुरा तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2015 उनवानी
राज्य सरकार बनाम ज्याना देवी वगै. आदि मु.नं. 343/2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :
1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 343/2013 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ने एक वाद बाबत अ.धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 417, वाके ग्राम काटलीपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्व कैम्प में केवल आपसी सहमति वाले प्रकरणों का ही निस्तारण दोनो पक्षों की सहमति या राजीनामा के आधार पर किया जाता है। पटवारी हल्का पचलंगी की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2013 एवं 06.10.2011 दोनों में अंकन किया गया है कि 20 गुणा 30 मीटर भूमि में से बजरी निकाल गई है। मौके पर खड्डे है लेकिन इस रिपोर्ट पर ना तो खातेदारों के हस्ताक्षर है और ना ही मौके पर उपस्थित किसी भी मौत विरान के हस्ताक्षर नहीं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। इससे जाहिर होता है कि हल्का पटवारी ने अपने कार्यालय में ही उक्त रिपोर्ट राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत तैयार की है। दिनांक 09.06.2015 को कितनी बजे मौके पर पहुंचे एवं कब मौका रिपोर्ट तैयार की है। इसका भी रिपोर्ट में अंकन नही है। रिपोर्ट में 3/4 भाग में बजरी निकाली हुई बताई है। इस रिपोर्ट में मौके पर बजरी निकालने का कोई प्लान्ट स्थापित किया हो उसके हालायत मौके पर मौजूद हो ऐसा अंकन नहीं है और दिनांक 03.09.2013 की मौका रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्ट है। दिनांक 03.09.2013 की रिपोर्ट में 20 गुणा 30 वर्ग मीटर से बजरी निकालना बताया गया। जबकि दिनांक 09.06.2015 में 3/4 भाग पर बजरी निकालना बताया है फिर भी केवल फर्द रिपोर्ट पर दावा डिक्री करने की कानूनी भूल की है। प्रतिवादी नम्बर 1 ज्याना पत्नी भगवाना राम की मृत्य दिनांक 12.03.2015 को हो चुकी है। उसके जायन्दा वारिसान गुलाराम व कल्याणराम पुत्रगण भगवानाराम है। जो अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 है। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित किया है जो कानूनन प्रभावहीन एवं शुन्य है। कानूनी रूप से मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर किये बिना ही निर्णय दिनांक 09.06.2015 पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 417 वाके ग्राम काटलीपुरा में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधिं सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।
(स) सहखातेदारी की भूमि में नजरी नक्शे के अभाव में किस पक्षकार द्वारा कितनी भूमि, कितने रकबे में खनन किया गया है। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
(द) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)